

न्यायालय :- साहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 05/2024

प्रकरण दर्ज तिथि :- 04.07.2024

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/177

प्रार्थी :-

1.शकरू पुत्र गंगला उम साल जाति मेहरात निवासी  
रूपनगर बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1.गणिकंवर पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

2. प्रहलाद पुत्र भीयाराम जाति रैगर निवासी बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

3.शंभरीदेवी पत्नी गोविन्दलाल

4.इन्द्रादेवी पुत्री गोविन्दलाल

5. गौतमचन्द पुत्र गोविन्दलाल

6. टीकमचन्द पुत्र गोविन्दलाल

7. गन्जू देवी गोविन्दलाल

8. राजेन्द्र पुत्र गोविन्दलाल

9. सन्तु उर्फ रांतोष पुत्री गोविन्दलाल

जतियान खाती निवासीगण बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

10. अनिलकुमार पुत्र भीकमचन्द

11. अशोक पुत्र भीकमचन्द

12. कमलाबाई पत्नी भीकमचन्द

13. गन्जुलता पुत्री भीकमचन्द

14. सुरेश पुत्र भीकमचन्द

जतियान खेतपालीया जैन निवासीगण बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

15. तहसीलदार रायपुर भूमिधारी राजस्थान सरकार रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री रमेश कुमावत वगैरह अधिवक्ता प्रार्थी

2 अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 अनुपस्थित एवं सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय


दिनांक : 03.04.2025

प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमावत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान मे खसरा नम्बर 2623/19 रकबा 0.4047 हैक्टर किस्म बरानी दायम व खसरा नम्बर 2623/3 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बरानी दायम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी काबिज खातेदार है और उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी की अलग से बंटी हुई है और राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबन्दी मे अलग से दार्शित है नकल जमाबन्दी व राजस्व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की आराजी को आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। इसी प्रकार सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षेत्र बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पारा मे ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623/24 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म बरानी अब्बल खसरा नम्बर 2623/29 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बरानी दायम खसरा नम्बर 2623/31 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म बरानी अब्बल खसरा नम्बर 783 रकबा 0.0162 हैक्टर किस्म गै.मु.वेरा खसरा नम्बर 784 रकबा 1.9587 हैक्टर किस्म बरानी दायम खसरा नम्बर 2623/21 रकबा 1.1331 हैक्टर किस्म बरानी दायम की कृषि भूमि आई हुई है उपरोक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की कृषि भूमि जो प्रार्थी की कृषि भूमि के विपते ही स्थित है। नकल

गुलाब सिंह  
साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (ब्यावर)

जमाबन्दी व नक्शा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थी के अकेले की कृषि भूमि है और मौके पर प्रार्थी का कब्जा है प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकार्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की कृषि भूमि जो से अलग है और उनकी भूमि भी अलग से मौके पर बंटी हुई है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 14 बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थी की जमीन की मौके पर मांटे तोड़कर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 14 विवाद करते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 प्रार्थी को बेवजह हैरान परेशान करते हैं जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 जानबुझकर के मांठ को लेकर विवाद करते हैं और बार बार कभी मांठ को बिखेर देते हैं व कभी मांठा हटा देते हैं इस प्रकार बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं और सीमा को लेकर विवाद करते हैं इसलिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र कराने सीमाज्ञान का विरुद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 अपनी हरकतों से बाझ नहीं आ रहे हैं और जबरदस्ती खन्दक को हटाकर विवाद शुरू कर दिया जबकि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज है परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 14 गैर कानूनी तरीके से विधिविरुद्ध रूप से पिछले काफी दिनों से सीमा को लेकर विवाद कर रहे हैं और प्रार्थी की कृषि भूमि की कांयम मांठ को बिखेर का अपना हक जता रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून को हाथ में लेकर गैर कानूनी कृत्य करने हुए सीमा विवाद खड़ा कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के विरुद्ध सीमा विवाद किया तब दिनांक 29/04/2024 को अप्रार्थी संख्या 15 के समक्ष एक लिखित प्रार्थनापत्र सीमाज्ञान करवाने बावत् प्रस्तुत किया तो उन्होंने मौके पर विवाद होने से न्यायालय से आदेश लाने का निवेदन करने पर प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से विरुद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28/04/2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 14 द्वारा सीमा विवाद करने पर नापचौप करवाने एवं सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 14 स्पष्ट इन्कार हो गये तथा प्रार्थी ने दिनांक 29/04/2024 को अप्रार्थी संख्या 15 तहसीलदार जैतारण का अपनी भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 15 ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की तथा मौके पर सीमा को लेकर विवाद है इसलिए सक्षम न्यायालय से आदेश जरिये पुलिस इमदाद के किया जाना संभव है तब प्रार्थी के पास न्यायालय की शरण के अलावा कोई कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की आराजी सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष निर्धारित न्याय शुल्क पर सादर पेश है। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तोवजात पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षेत्र बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623/19 रकबा 0.4047 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2623/3 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623/24 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खसरा नम्बर 2623/29 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी सोयम खसरा नम्बर 2623/31 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खसरा नम्बर 783 रकबा 0.0162 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा खसरा नम्बर 784 रकबा 1.9587 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 2623/21 रकबा 1.1331 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमियो का माफिक राजस्व रेकार्ड अनुसार मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगड्डी की जावे एवं सम्पूर्ण नापचौप करने के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 को पाबंद किया जावे कि भविष्य में सीमा विवाद नहीं करे और यदि व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 सीमाज्ञान के वक्त कोई विवाद करता है तो उक्त आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद से कारवाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं, पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता


  
**सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**  
 रायपुर (झावर)

ने निवेदन किया कि प्रार्थी को मांठ को लेकर एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भूमि को बचाने हेतु नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाकर एवं पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया है।

बहस समाप्त की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षेत्र बाबरा मे स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623/19 रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म बारानी दोगम तथा खसरा नम्बर 2623/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी दोगम में, प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी हैं एवं अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाने एवं सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षेत्र बाबरा के खसरा नम्बर 1सरा नम्बर 2623/19 रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म बारानी दोगम तथा खसरा नम्बर 2623/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी दोगम की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करवाई जावें एवं तहसीलदार रायपुर, मौके पर परिशांति कायम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




(गुलाब सिंह वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)